

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 483]
No. 483]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 3, 2008/भाद्र 12, 1930
NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 3, 2008/BHADRA 12, 1930

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधि सर्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2008

सा.का.नि. 636(अ).—केन्द्रीय सरकार, नोटेरी अधिनियम, 1952 (1952 का 53) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नोटेरी नियम, 1956 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम नोटेरी (दूसरा संशोधन) नियम, 2008 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. नोटेरी नियम, 1956 की अनुसूची में,—
 - (i) स्तंभ (1) में, 'केरल' से संबंधित क्रम संख्यांक '5' के सामने स्तंभ (2) में "375" अंक के स्थान पर "563" अंक रखे जाएंगे;
 - (ii) स्तंभ (1) में, 'गुजरात और जम्मू-कश्मीर' से संबंधित क्रम संख्यांक '4 और 15' के सामने, स्तंभ (3) में "938 और 350" अंकों और शब्द के स्थान पर क्रमशः "1407 और 525" अंक और शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 5(271)/2000-एनसी]

आर. रघुपति, संयुक्त सचिव

टिप्पण :— मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (i) में सं. का.नि.अ. 324 तारीख 14 फरवरी, 1956 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और पश्चात्पूर्व संशोधन सा.का.नि. 370(अ), तारीख 8 जुलाई, 1997, सा.का.नि. 547(अ), तारीख 31 अगस्त, 1998, सा.का.नि. 17(अ), तारीख 5 जनवरी, 2000, सा.का.नि. 262(अ), तारीख 28 मार्च, 2000, सा.का.नि. 630(अ), तारीख 21 जुलाई, 2000, सा.का.नि. 172(अ), तारीख 12 मार्च, 2001, सा.का.नि. 330(अ), तारीख 9 मई 2001, सा.का.नि. 460 (अ), तारीख 25 जून, 2001, सा.का.नि. 464(अ), तारीख 9 जून, 2003, सा.का.नि. 296(अ), तारीख 19 मई, 2006, सा.का.नि. 501(अ), तारीख 24 अगस्त, 2006, सा.का.नि. 73(अ), तारीख 9 फरवरी, 2007, सा.का.नि. 86(अ), तारीख 14 फरवरी, 2007 और सा.का.नि. 330(अ), तारीख 8 मई, 2007 के साथ पठित सा.का.नि. 319(अ), तारीख 1 मई, 2007, सा.का.नि. 686(अ), तारीख 31 अक्टूबर, 2007 और सा.का.नि. 51(अ) तारीख 23 जनवरी, 2008 द्वारा किए गए।

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Legal Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2008

G.S.R. 636(E).—In exercise of the powers conferred by Section 15 of the Notaries Act, 1952 (53 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Notaries Rules, 1956, namely:—

1. (1) These Rules may be called the Notaries (Second Amendment) Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Notaries Rules, 1956, in the Schedule,—
 - (i) in column (1), against serial number '5' relating to 'Kerala', in column (2), for the figures "375", the figures "563" shall be substituted ;
 - (ii) in column (1), against serial numbers '4 and 15' relating to 'Gujarat and Jammu & Kashmir', in column (3), for the figures and word "938 and 350", the figures and word "1407 and 525" shall respectively be substituted.

[F. No. 5 (271)/2000-NC]

R. RAGUPATHI, Jt. Secy.

Note:—The principal Rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) *vide* number S.R.O. 324 dated the 14th February, 1956 and subsequently amended by G.S.R. 370(E) dated the 8th July, 1997, G.S.R. 547 (E) dated the 31st August, 1998, G.S.R. 17(E) dated the 5th January, 2000, G.S.R. 262(E) dated the 28th March, 2000, G.S.R. 630 (E) dated the 21st July, 2000, G.S.R. 172(E) dated the 12th March, 2001, G.S.R. 330(E) dated the 9th May, 2001, G.S.R. 460(E) dated the 25th June, 2001, G.S.R. 464(E) dated the 9th June, 2003, G.S.R. 296 (E) dated the 19th May, 2006, G.S.R. 501(E) dated the 24th August, 2006, G.S.R. 73(E) dated the 9th February, 2007, G.S.R. 86(E) dated the 14th February, 2007, G.S.R. 319(E) dated the 1st May, 2007 read with G.S.R. 330(E) dated the 8th May, 2007, G.S.R. 686 (F) dated the 31st October, 2007 and G.S.R. 51(E) dated 23rd January, 2008.